रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 203] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 1982/अग्रहायण 20, 1904
No. 203] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 11, 1982/AGRAHAYANA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 58/82

नई दिल्ली, 11, दिसम्बर, 1982

विषय :—बैध आयात लाइसेंसों के मद्दे प्रतियोगात्मक मूल्य पर देसी माल की आपूर्ति ।

फा० सं० जाई पो० सी० /4/फा० सं० 36/82-83(पार्ट०) .— बैध आयात लाइसेंसों के मद्दे प्रतियोगात्मक मूल्य पर देसी माल की आपूर्ति के लिए एक नई योजना आरम्भ की गई है ।

2. प्रारम्भ में, यह योजना भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०, धातु एवं खनिज व्यापार निगम लि०, के माध्यम से आयात के लिए यथा सारणीबद्ध 1982-83 के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणियों की इस्पात मदों के लिए लागू होगी :—

(1) कार्बन स्टील हाट राल्ड कायल्स/स्ट्रिप्स ;

(2) कार्बन स्टील सी० आर०/सी०आर० सी० ए० शीट्स/कायल्स जोकि आई एस० 513 ग्रेड 'ओ' की 0.8 एम० एम०, 0 63 एम०एम० 1 00 एम०एम०, 1.25 एम०एम; और 1.60 एम०एम० की मोटाई वाली विशिष्टिकृत के अनुसार है ;

(3) कोल्ड राल्ड जंगावरोधी/ताप रोधक स्टील कायल्स/शीट्स ।

3. योजना निम्नलिखित श्रेणियों को आयात लाइसेंसों के लिए लागू होगी बशर्ते कि वे उनसे संबंधित नीति के अन्तर्गत उल्लिखित मदों के आयात के लिए वैध हो :—

(1) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातों के मद्दे, इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने पर अथवा इसके पश्चात् जारी किए गए आयात प्रतिपूर्ति (आर०ई०पी) लाइसेंस जिसमें आयात नीति के परिशिष्ट-29 के अधीन कर मुक्त आयातों के लाभ भी शामिल हैं ।

(2) आयात नीति के परिशिष्टि-19 के अधीन कर छूट योजना के अन्तर्गत जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस ।

(3) पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन जारी किए गए अग्रदाय लाइसेंस ।

(4) व्यापार सदनों को जारी किए गए अतिरिक्त लाइसेंस ।

(5) इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने पर या इसके पश्चात् जारी किए गए आर०ई०पी० लाइसेंस तथा आयात नीति की कंडिका 138 के अधीन जो उपयोग में है ।

(6) 1982-83 के लिए आयात एवं निर्यात नीति (जिल्द-1) की कंडिका 32(3), 34(1) और (2), 37 (2) और 38 के अन्तर्गत आने वाले वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस ।

4. उपर्युक्त कंडिका-3 में क्रम सं० (2), (3) और (4) पर उल्लिखित आयात लाइसेंस चाहे वे 1982-83 के दौरान पहले जारी किए गए हों, इस योजना के अंतर्गत आएंगे बशर्ते कि वे उपर्युक्त कंडिका-2 में दी गई मदों के आयात के लिए वैध हों और इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को या इसके बाद जारी किए गए हों ।

उपर्युक्त कंडिका-3 में क्रम सं० (1) और (5) के अंतर्गत आने वाले आयात लाइसेंस इस योजना के अंतर्गत आएंगे, बशर्ते कि वे उपर्युक्त कंडिका-2 में दी गई मदों के आयात के लिए वैध हों और इस सार्वजनिक सूचना की तिथि को या इसके बाद जारी किए गए हों ।

उपर्युक्त कंडिका 3 में क्रम सं० (6) पर उल्लिखित वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंसों के मामले में यह योजना केवल उन्हीं लाइसेंसों के लिए लागू होगी जो 1982-83 के लिए आयात नीति के अंतर्गत जारी किए गए हैं और उपर्युक्त कंडिका-2 में दी गई मदों के आयात के लिए वैध हैं ।

5. इस योजना के अंतर्गत आने वाले आयात लाइसेंस उन मदों के सीधे आयात के लिए वैध नहीं माने जाएंगे जिनके लिए यह योजना लागू है, किन्तु इसमें इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से पूर्व पहले ही खोले गए और स्थापित किए गए अपरिवर्तनीय साख-पत्रों की सीमा तक छूट होगी । इन मदों के इच्छुक संबंधित लाइसेंस-धारक अपने वैध आयात लाइसेंसों के मद्दे संबंधित मदों का संभरण प्राप्त करने के लिए कलकत्ता, बंबई, मद्रास या दिल्ली में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें ।

6. भारतीय इस्पात प्राधिकरण उस प्रतियोगी कीमत पर लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली सीमा तक माल का संभरण करेगा, जो इस प्रयोजन के लिए त्रैमासिक आधार पर निर्धारित की जाएगी । आयात लाइसेंस संभरित माल की मात्रा और लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य की सीमा तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा नामे डाला जाएगा । भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा वसूल किया गया मूल्य (सीमा-शुल्क कर को छोड़ कर) लाइसेंस के नामे डालने के प्रयोजनार्थ माल के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के रूप में समझा जाएगा ।

7. भारतीय इस्पात प्राधिकरण से संपर्क करते समय, लाइसेंस धारक को वांछित सुपुर्दगी के समय का भी संकेत देना चाहिए, जो किसी भी मामले में लाइसेंस की वैधता अवधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर पड़नी चाहिए और उसके बाद नहीं । लेकिन, आयात लाइसेंस भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को उसकी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

8. यदि भारतीय इस्पात प्राधिकरण उपर्युक्त अनुसार लाइसेंसधारक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर माल की पूर्ति करने में असमर्थ है, तो वह उस माल का विवरण और उसकी लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और मात्रा (यदि लाइसेंस में मात्रा सीमाकारी तत्व के रूप में है) का संकेत करते हुए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करेगा जिसकी पूर्ति करने में असमर्थ रहा है । लाइसेंस प्राधिकारी उस सीमा तक सीधे आयात के लिए लाइसेंस को वैध करते हुए उन पर पृष्ठांकन करेंगे ।

9. इस योजना के अंतर्गत जिन आयात लाइसेंसों के मद्दे पूर्ति प्राप्त की गई है वे उन पर लगाई गई या उनके लिए लागू अन्य सभी शर्तों के अधीन होंगे ।

10. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० आयातकों के मार्ग-दर्शन के लिए समय समय पर कीमतें और अन्य क्रिया-विधियों की घोषणा करेगा ।

मणि नारायणस्वामी,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
तथा राम,
संयुक्त मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 58-ITC(PN)/82

New Delhi, the 11th December, 1982

Subject : Supply of indigenous materials at competitive price, against valid import licences.

File No. IPC/4/MISC/36/82-83(pt).—A new scheme has been introduced for supply of indigenous materials at competitive price against valid import licences.

2. To begin with, the scheme shall apply to the following categories of steel items as are canalised for import through Steel Authority of India Ltd., Minerals & Metals Trading Corporation Ltd., under the import policy for 1982-83 :—

(i) Carbon steel hot rolled coils/strips ;

(ii) Carbon steel CR/CRCA sheets/coils conforming to specification IS 513 Grade 'O' of thickness 0.8 mm, 0.63 mm, 1.00 mm, 1.25 mm and 1.60 mm ;

(iii) Cold rolled stainless/heat resisting steel coils/sheets.

3. The scheme shall apply to the following categories of import licences provided they are valid for import of the above mentioned items under the policy relevant to them :—

(i) Import replenishment (REP) licences issued on or after the date of this Public Notice, against exports, under the import policy for Registered Exporters, including those with benefit of duty-free imports under Appendix 29 of import policy.

(ii) Advance licences issued under Duty Exemption Scheme under Appendix 19 of import policy.

(iii) Imprest licences issued under the import policy for Registered Exporters.

(iv) Additional licences issued to Trading Houses.

(v) REP licences issued on or after the date of this Public Notice, and operating under para 138 of import policy.

(vi) Actual user licences covered under para 32(3), 34(1) & (2), 37(2) and 38 of Import & Export Policy (Vol. I) for 1982-83.

4. Import licences referred to at S. Nos. (ii), (iii), and (iv) in para 3 above whether issued dur-

ing 1982-83 or earlier will be covered by the scheme, provided they are valid for import of the items mentioned in para 2 above

Import licences under S. Nos. (i) and (v) in para 3 above will be covered by the scheme, provided they are valid for import of items mentioned in para 2 above, and have been issued on or after the date of this Public Notice.

In the case of Actual User licences referred to at (vi) in para 3 above, the scheme will apply only to those issued under the import policy for 1982-83 and valid for import of the items mentioned in para 2 above.

5. Import licences covered by this scheme shall cease to be valid for direct import of items to which the scheme is applicable, except to the extent of irrevocable letters of credit already opened and established before the date of this Public Notice. The concerned licence-holders requiring these items should approach any of the regional offices of the Steel Authority of India Ltd. at Calcutta, Bombay, Madras or Delhi to obtain supplies of the concerned items against their valid import licences.

6. The Steel Authority of India will supply the material upto the extent covered by the licence at competitive price, which be fixed on a quarterly basis for this purpose. The import licence will be debited by Steel Authority of India to the extent of the quantity and c.i.f. value of the goods supplied. The value charged by Steel Authority of India (excluding customs duty) will be treated as the c.i.f. value of the goods for the purpose of debit to the licence.

7. While approaching the Steel Authority of India, the licence-holder should also indicate the time of delivery desired, which should, in any case, lie within the validity period of the licence or within 60 days of the expiry of the validity period of the licence, and not beyond. The import licence should, however, be presented to the Steel Authority of India Ltd. within its validity period.

8. If the Steel Authority of India is unable to make supplies within the period stipulated by the licence-holder as above, it will issue "No Objection" certificate indicating the descripion of goods and their CIF value and quantity (if the licence has quantity as the limiting factor), for which it has not been able to make supplies. The licensing authority will endorse the licence making it valid for direct import to that extent.

9. Import licences against which supplies are obained under this scheme will continue to be subject to all the other conditions imposed on or applicable to them.

10. The Steel Authority of India Ltd., will announce the prices and other procedures from time to time for the guidance of importers.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

TAKHAT RAM, Jt. Chief Controller Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982